"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013—ज्येष्ठ 31, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीनानाथ ठाकुर पिता श्री जोहनराम ठाकुर, उम्र-55 वर्ष, जाति-गोंड, निवासी-ग्राम व पोस्ट-बघमरा, तहसील व जिला बालोद (छ. ग.) का हूं. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत "सी. तकनीशियन" के पद पर सी. एस. डब्ल्यू प्लांट दल्ली माईन्स (आर. एस. टी.) विभाग में कार्यरत हूं तथा मेरा पर्सनल नंबर 142964 है. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड तथा समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम "दीनाराम पिता जोहनराम" अंकित है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम "दीनानाथ ठाकुर" पिता जोहनराम ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे दीनानाथ ठाकुर पिता जोहनराम ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
दीनाराम पिता-जोहनराम निवासी-ग्राम-बघमरा पोस्ट-बघमरा तह. व जिला-बालोद (छ. ग.)	दीनानाथ ठाकुर पिता-जोहनराम ठाकुर निवासी-ग्राम-बघमरा पोस्ट-बघमरा तह. व जिला-बालोद (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रिचर्ड अतित पिता स्व. अमृत सेमसन, उम्र-43 वर्ष, निवासी-एल. जी.-13, पदुमनगर, भिलाई-3, तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम आर्यव सेमसन पिता रिचर्ड अतित दर्ज है तथा उसके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में उसका नाम अनुराग पॉल सेमसन अंकित है. यह कि मैं अपने पुत्र "आर्यव सेमसन" का नाम परिवर्तित कर नया नाम "अनुराम पॉल सेमसन" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को अनुराग पॉल सेमसन पिता रिचर्ड अतित के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
आर्यव सेमसन पिता-रिचर्ड अतित निवासी-एल. जी.-13 पदुमनगर, भिलाई-3 तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	अनुराम पॉल सेमसन (ANURAG PAUL SAMSON) पिता-रिचर्ड अतित निवासी-एल. जी.-13 पदुमनगर, भिलाई-3 तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शिवानी मजुमदार पति श्री सिद्धार्थ शंकर मजुमदार, आयु-29 वर्ष, निवासी-20 वल्लभ कालोनी, टैगोर नगर, सांई मंदिर के पास, रायपुर, तह. व जिला -रायपुर (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मैं ऋचा वाधे के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में अंकित है. मेरा विवाह सिद्धार्थ शंकर मजुमदार से सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् सामाजिक रीति रिवाज अनुसार मेरे पूर्व नाम को परिवर्तित कर मेरा नाम शिवानी मजुमदार पति सिद्धार्थ शंकर मजुमदार रख दिया गया तथा सही नाम समस्त शासकीय, अशासकीय रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है. यह कि मैं अपने नाम श्रीमती शिवानी मजुमदार पति सिद्धार्थ शंकर मजुमदार को परिवर्तित कर नया नाम "श्रीमती ऋचा मजुमदार पति सिद्धार्थ शंकर मजुमदार" रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती ऋचा मजुमदार पति सिद्धार्थ शंकर मजुमदार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती शिवानी मजुमदार पति-सिद्धार्थ शंकर मजुमदार निवासी-20 वल्लभ कालोनी टैगोर नगर, सांई मंदिर के पास, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती ऋचा मजुमदार पति-सिद्धार्थ शंकर मजुमदार निवासी-20 वल्लभ कालोनी टैगोर नगर, सांई मंदिर के पास, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, परमजीत सिंह जौहल पिता सतनाम सिंह जौहल, निवासी-ई-पॉकेट 27/बी., मरौदा सेक्टर-भिलाई, तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) पिन कोड-490006 का हूं. यह कि मेरे कुछ एक शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम त्रुटिवश परमजीत सिंह पिता सतनाम सिंह दर्ज हो गया है, को सुधार कर पूरा व सही नाम परमजीत सिंह जौहल पिता सतनाम सिंह जौहल अंकित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे परमजीत सिंह जौहल पिता सतनाम सिंह जौहल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
परमजीत सिंह (PARMJEET SINGH) पिता-सतनाम सिंह निवासी-ई-पॉकेट 27/बी मरौदा सेक्टर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन-490006	परमजीत सिंह जौहल (PARMJEET SINGH JOHAL) पिता-सतनाम सिंह जौहल निवासी-ई-पॉकेट, 27/बी मरौदा सेक्टर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन-490006

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ऋषि कुमार साहू, आत्मज मेखूराम बघेल, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ई. डब्ल्यू. एस. 645, वैशाली नगर, भिलाई, तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र नंदिनी माईन्स में ए. सी. टी. इलेक्ट्रीकल के पद पर पावर सप्लाई विभाग में पदस्थ हूं. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा उपनाम ऋषि कुमार "बघेल" दर्ज है को परिवर्तित कर अपना नया उपनाम ऋषि कुमार "साहू" पिता मेखूराम बघेल दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे ऋषि कुमार साहू पिता मेखूराम बघेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
ऋषि कुमार बघेल (RISHI KUMAR BAGHEL) पिता-मेखूराम बघेल निवासी-ई. डब्ल्यू. एस.-645 वैशाली नगर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	ऋषि कुमार साहू (RISHI KUMAR SAHU) पिता-मेखूराम बघेल निवासी-ई. डब्ल्यू. एस.-645 वैशाली नगर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 30 मई 2013

प्र. क्र./8/ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक/233/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सीताराम अग्रवाल, निवासी - 27 शाला मार्ग, चौबे कालोनी, रायपुर द्वारा श्री सीताराम शकुन्तला देवी चेरीटेबल ट्रस्ट, 27 शाला मार्ग, चौबे कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री सीताराम शकुन्तला देवी चेरीटेबल ट्रस्ट, 27 शाला मार्ग, चौबे कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	1,00,000/- रु. नगद (एक लाख रुपये मात्र)
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 02-07-2013 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 30-05-2013 को जारी.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2013

प्र. क्र./7/ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक/234/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, निवासी 300 समता कालोनी, रायपुर द्वारा अग्रसेन वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कालेज श्री रामनाथ भीमसेन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

र अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता		अग्रसेन वेलफेयर फाउडेशन ट्रस्ट महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कालेज श्री रामनाथ भीमसेन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	1,00,000/- रु. नगद (एक लाख रुपये मात्र)
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 02-07-2013 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 30-05-2013 को जारी.

बी. सी. साहू,
पंजीयक,
एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013—ज्येष्ठ 31, शक 1935

भाग 3 (2)

निरंक

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.